

न्यायालय अतिरिक्त जिला क्लर्क, नीम का पान  
 आवारी :- श्रीश्याम कां० बनाम तटशीलदार उदयपुरवाही

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० न० :- 69/2023 ; डिम्प :- अपील	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

22/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
 बहल बुनी गई। दौराने बहल वकील  
 अपीलान्ट ने बताया कि अधिनियम न्याया  
 द्वारा अपीलान्ट व रेल्पोडेन्ट न० 2 को इसी  
 आबादी भूमि ख० न० 373 रकबा 0.04 है।  
 क्लिम्प जॉ० मु० कुमा मे ले 0.0050 हकाली  
 भूमि में अतिक्रमण मानकर बहल वकील का  
 आदेश पारित किया गया है। अधिनियम  
 न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेल्पो० न० 2  
 को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना  
 आदेश पारित किया है जो कानूनन गलत है।  
 विजय सिंह द्वारा पत्रवाही हल्का ले मिलकर  
 आपली रंजिश के कारण झुठी शिकायत  
 दर्ज कराई है। जबकि बाचरूम जॉ० वर्षों  
 से बने हुए है। जबकि आदेश से रूब  
 व शिकायत होने के पश्चात मौके पर  
 कोई नाप जोख नहीं कि गई। दिनांक 13/5/23  
 को मार्टरलीट पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाकर  
 एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।  
 मियाद जब्त धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश  
 किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद  
 अधिनियम का हकीकार किया जाकर अपील  
 अपीलान्ट हकीकार कि जावे एवं तटशीलदार  
 उदयपुरवाही द्वारा पारित आदेश दिनांक  
 22-6-22 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहल वकील रेल्पोडेन्ट  
 न० 2 ने अपील में तथ्यों को हकीकार करके  
 हुए अपील हकीकार किये जाने पर अपनी  
 सहमति जताई।

अपील अपीलान्ट द्वारा उल्लेख  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम  
 का न्यायहित में हकीकार किया जा रहा है। अपील  
 अपीलान्ट अन्दर मियाद समाप्त बिगती है।

वकील अपीलान्ट कि बहल पर  
 मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में  
 उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तटशीलदार उदयपुर-  
 वाही से प्राप्त मूल पत्रावली समस्त का

(अनिल कुमार)  
 अतिरिक्त जिला क्लर्क  
 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
 सीमकाथाना



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अंशकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--


भवलोकन क्रिया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रवाही हल्का कि रिपोर्ट का भवलोकन करने पर पाया गया कि भूमि खण्ड 373 रकबा 0.04 है विलियम जे मु कुमा पर 0.0050 पर डॉयलेट च बाधरुम कि दीवार बनाकर अतिचार कर रहा है। परन्तु पत्रवाही हल्का द्वारा जो रिपोर्ट के साथ नजरी नम्मा बनाया है जिसमें किसी भी दिशा का नाप अंकित नहीं है एवं अतिक्षण रकबा कितना है। जिल्ला भी अंकन नहीं किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि पत्रावली सं 63/22 उनवानी सरकार बनाम शीशराम में आदेशिका पर दिनांक 13-5-2022 को शीशराम, सुरेश, गणेश के हस्ताक्षर हैं जिसको फर्जी बनाया गया है। परन्तु पत्रावली में इस लब्ध में ऐसा कोई दस्तावेज च साध्य नहीं है। जिससे कि इस कथन कि पुष्टि होती हो। अपीलान्ट व रेस्पोन्स 2 को सुनवाई हेतु प्रॉन अवर भी नहीं दिया गया जो पत्रवाही से स्पष्ट है। अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्स 2 द्वारा जा निर्माण किया है वो अपीलान्ट की माछादी इमि में किया गया है एवं रेस्पोन्स द्वारा निर्माण सरकारी इमि में किया गया बताया है। इस प्रकार दोनों के कथन आपस में विरोधाभासी हैं। इस कथन कि सही तौर पर पुष्टि हो लके ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। जहाँ तक न्यायालय का मानना है कि इस कथन कि सही पुष्टि एवं न्याय प्रॉन निर्णय हो लके जिल हेतु मौके पर नाप जेष्ठ अथति स्वीमाज्ञान होना जरूरी है जिससे रिधति स्पष्ट तौर पर साफ हो लके एवं सही निर्णय हो लके। इन सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट हवीकार बिपा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट हवीकार कि जाती है। तथा न्यायालय तहसीलदार उदुपपुर वारी के मुठन 63/22 उनवानी सरकार बनाम शीशराम

(अनिल कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ७	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

में दिनांक 22-6-2022 को पारित आदेश  
अपावत किया जाता है एवं अपील अपीलान्त  
तहसीलदार उदयपुर घाटी को इस आदेश के  
लाघ रिमाण्ड मि जाती है मि मोंके पर उम्ह  
मूमि का चाप जोख किया जावे एवं अपीलान्त  
को सुनवाई का इर्ण अवतर दिया जाकर  
अपना निर्णय पुनः पारित करें। निर्णय  
की पावना हेतु तहसीलदार उदयपुर घाटी को  
निर्णय की अति के लाघ तहरीर जारी मि  
जावे। यथावली चेंदल शुमार होकर नम्बर ले  
कम होकर दालिल दफ्तर हों।

  
 (अनिल कुमार)  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
 नौसकाथाना